

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::


पटना-15, दिनांक-13.3.2018

संख्या-12/प0 (का0दंडा0)-1701/18 सा0प्र0.....3462...../पर्यवेक्षकीय सेवा के निम्नांकित प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, आई0डी0सं0 एवं गृह जिला	पैतृक विभाग	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं अनुमंडल का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री विनय शंकर शर्मा, RDD/000284, समस्तीपुर।	सहकारिता विभाग	कार्यपालक दंडाधिकारी, कैमूर, भभुआ।	कार्यपालक दंडाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया।
2	श्रीमती आशा कुमारी, RDD/001631, खगड़िया।	ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक दंडाधिकारी, जहानाबाद सदर।	कार्यपालक दंडाधिकारी, अररिया सदर।
3	श्रीमती किंजालिका सिन्हा, RDD/000258, पूर्वी चंपारण।	ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक दंडाधिकारी, जहानाबाद सदर।	कार्यपालक दंडाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली।
4	श्री निरंजन शर्मा, RDD/000609, पश्चिम चंपारण।	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	कार्यपालक दंडाधिकारी, अररिया सदर।	कार्यपालक दंडाधिकारी, कैमूर, भभुआ।
5	श्री सुनील कुमार, RDD/000244, पटना।	ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक दंडाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया।	कार्यपालक दंडाधिकारी, जहानाबाद सदर।
6	श्रीमती सुनीता स्नेहा, RDD/001334, नालंदा।	ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक दंडाधिकारी, आरा सदर।	कार्यपालक दंडाधिकारी, जहानाबाद सदर।

- उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।
- स्थानान्तरण/पदस्थापन के उपर्युक्त प्रस्ताव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की सहमति प्राप्त है।
- स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारी अविलम्ब नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-12/प0 (का0 दंडा0)-1701/18 सा0प्र0.....3462...../पटना-15, दिनांक- 13.3.2018.

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।